EMHL
9/14/16

फोन न० 0812–2219116(का०)
फैक्स न०–0812–2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.blh@nic.in

पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–143(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 07.12.2016 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016–2017 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–01–पुनर्वास, लघुशीर्ष–200–अन्य राहत उपाय उप शीर्ष–0003–शीतलहर से बचाव हेतु उपाय विपत्र कोड–एन2235012000003 मद में प्राप्त आवंटन मो0–200000.00 (दो लाख) रूपये को निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए वित्तीय वर्ष–2016–2017 में संबंधित कोषागार से निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लघु शीर्ष–200–अन्य राहत उपाय।
उपशीर्ष–0003–शीतलहर से बचाव हेतु उपाय।
मांग सं0–39, यूनिट कोड–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा।

क्र0	पदाधिकारी का नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	योग
01	02	03	04	05
1	अंचलाधिकारी, पटना सदर	–	50000.00	50000.00
2	अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ	–	11000.00	11000.00
3	अंचलाधिकारी, सम्पतचक	–	5000.00	5000.00
4	अंचलाधिकारी, दानापुर	–	8000.00	8000.00
5	अंचलाधिकारी, मनेर	–	6000.00	6000.00
6	अंचलाधिकारी, बिहटा	–	6000.00	6000.00
7	अंचलाधिकारी, नौबतपुर	–	6000.00	6000.00
8	अंचलाधिकारी, पालीगंज	–	8000.00	8000.00
9	अंचलाधिकारी, बिक्रम	–	6000.00	6000.00
10	अंचलाधिकारी, दुल्हिन बाजार	–	5000.00	5000.00
11	अंचलाधिकारी, मसौढ़ी	–	8000.00	8000.00
12	अंचलाधिकारी, धनरूआ	–	6000.00	6000.00
13	अंचलाधिकारी, पुनपुन	–	6000.00	6000.00
14	अंचलाधिकारी, फतुहाँ	–	10000.00	10000.00
15	अंचलाधिकारी, खुशरूपुर	–	5000.00	5000.00
16	अंचलाधिकारी, दनियावॉ	–	5000.00	5000.00
17	अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर	–	8000.00	8000.00
18	अंचलाधिकारी, अथमलगोला	–	5000.00	5000.00
19	अंचलाधिकारी, बेलछी	–	5000.00	5000.00
20	अंचलाधिकारी, बाढ़	–	10000.00	10000.00
21	अंचलाधिकारी, घोषवरी	–	5000.00	5000.00

Shashi

पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन न० 0612-2219116(का०)
फैक्स न०-0612-2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

22	अंचलाधिकारी, पंडारक	–	6000.00	6000.00
23	अंचलाधिकारी, मोकामा	–	10000.00	10000.00
	कुल योग		**200000.00**	**200000.00**

(1) उपावंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–2017 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–01–पुनर्वास, लघु शीर्ष–200–अन्य राहत उपाय, उपशीर्ष–0003–शीतलहर से बचाव हेतु उपाय मद में उपावंटित राशि से विकलनीय होगा।

(2) यह आवंटन विभागीय पत्रांक–4041/आ0प्र0, दिनांक 06.12.2016 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के तहत निर्गत किया जा रहा है। इस राशि से शीतलहर की दशा में अलाव की व्यवस्था सभी शहरी/अर्द्वशहरी स्थानों में की जायेगी। अंचलाधिकारी अलाव जलाने का स्थान चयन करते समय यह ध्यान रखें कि अलाव ऐसे स्थानों पर जलाये जाय, जहाँ अधिक से अधिक निर्धन एवं असहाय लोग निवास करते है या एकत्र होते है। साथ हीं यह भी ध्यान रखें कि अन्य सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाया जाय, जहाँ अधिक से अधिक प्रभावित लोगों को लाभ मिल सके।

(3) आवंटित राशि का व्यय उसी मद के अन्तर्गत किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हीं जिम्मेवार होगें।

(4) आवंटित की गई सहायक अनुदान की राशि की निकासी BTC Form-42 में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC Form-42A में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।

(5) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आँकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(6) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

(7) यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी हीं जिम्मेवार होगें। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

(8) मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
पटना।

D:\Apda Shakha Data\Adesh.docx10

फोन न० 0612-2219116(का०)
फैक्स न०-0612-2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

ज्ञापांक IV-03/16 ....1488..../आ0प्र0, दिनांक ....9/12/16....

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित स्थलों पर अलाव जलाने से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, पटना/पटना सिटी/दानापुर/मसौढ़ी/बाढ़ एवं मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपिः– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–143(स0अनु0)/ आ0प्र0, दिनांक 07.12.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त पटना प्रमण्डल पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

9/12

जिला पदाधिकारी,
पटना।

D:\Apda Shakha Data\Adesh.docx11